मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन–भोपाल

कमांक एफ–2/2/2011/नियम/चार दिनांक 30/07/2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त संभागीय कमिश्नर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषयः–कय अथवा सेवाओं के मामलों में अनुबन्ध किये जाने के संबंध में ।

.....

शासन के ध्यान में यह तथ्य लाया गया है कि कतिपय विभागों/विभागाध्यक्षों/कार्यालय प्रमुखों द्वारा कार्य के दौरान सेवाओं अथवा कय से संबंधित मामलों में विभिन्न प्रदायकर्ताओं से अनुबंध किया जाता है । इस हेतु म0प्र0 वित्तीय संहिता भाग–1 के नियम 20 एवं 21 के प्रावधानों का पालन आवश्यक है। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त प्रावधानों की प्रति संलग्न है ।

2/ वित्तीय संहिता भाग–1 के नियम–20 के अनुसार संविदा/करार उसी प्राधिकारी के द्वारा की जाना चाहिये जो इस हेतु शासन के आदेश से प्राधिकृत हैं।यह उल्लेखनीय है कि महामहिम राज्यपाल की ओर से अनुबंध राज्य शासन स्तर से ही हस्ताक्षरित होना चाहिये । विभागाध्यक्ष कार्यालय से किसी अधिकारी को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करने के लिये विधि विभाग से परामर्श कर विधि अनुरूप कार्यवाही करना आवश्यक है ।

3/ कृपया भविष्य में अनुबंध करते समय मध्यप्रदेश वित्त संहिता भाग–1 में उल्लेखित शर्तो एवं उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाये ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

उप सचिव,
म0प्र0शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 2/2/2011/नियम/चार भोपाल, दिनांक जुलाई, 2011

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(डी..के. सक्सैना)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

खंड 4 : करार

सामान्य सिद्धांत

20. कोई भी प्राधिकारी जिसे राज्य शासन द्वारा अथवा राज्य शासन के आदेशों के अधीन जब तक ऐसा करने के लिये प्राधिकृत न किया गया हो, कोई संविदा या करार नहीं कर सकता है।

विभिन्न प्रकार की संविदाओं और सम्पत्ति हस्तान्तरण के अधिकार जो राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 299 का प्रयोग करते हुए, विभिन्न अधिकारियों को प्रदत्त किये गये हैं, मध्यप्रदेश वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका में दिये गये हैं।

इन अधिकारियों के अधिकारों की सीमा क्या होगी तथा किन शर्तों पर इन अधिकारों का प्रयोग किया जाए तथा इन संविदाओं से संबंधित सामान्य प्रक्रिया जैसे निविदाओं को बुलाना और स्वीकार करना, इत्यादि से संबंधित शासन के पूरक आदेश विभागीय नियमों में अन्तर्विष्ट हैं।

21. राज्य की संचित निधि से व्यय जहाँ अंतर्ग्रस्त है वहाँ ठेका या करार करने वाले प्राधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु निम्नलिखित सिद्धान्त होंगे :—

(1) संविदा की शर्तें संक्षिप्त व स्पष्ट होनी चाहिए तथा अस्पष्टता के लिये कोई स्थान नहीं होना चाहिए जिससे उनका गलत ढंग से अर्थ न लगाया जा सके।

(2) जहाँ तक संभव हो, संविदा के प्रारूप को अन्तिम रूप देने के पूर्व उस पर कानूनी एवं वित्तीय सलाह प्राप्त की जाना चाहिए।

(3) संविदा के लिये मानक प्रपत्रों को ही अपनाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो शर्तें पूर्णरूपेण पूर्व परीक्षित हों।

(4) करार में तय की गई शर्तों में सामान्य परिस्थितियों में करार करने वाले प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। किसी संविदाकार को संविदा की शर्तों के बाहर अथवा स्वीकृत दर से अधिक राशि की क्षतिपूर्ति आदि वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना अधिकृत नहीं की जानी चाहिए।

(5) ऐसी संविदा जिसकी शर्तें अनिश्चित अथवा अपूर्ण हों बिना वित्त विभाग की सहमति के नहीं करना चाहिए।

(6) जहाँ व्यवहारिक तथा लाभदायक हो वहाँ संविदा केवल खुली निविदाओं द्वारा ही बुलाना चाहिए। जिन प्रकरणों में निम्नतर संविदा स्वीकृत न की जा सके उन प्रकरणों में ऐसा न करने के कारणों को भी अभिलिखित किया जाना चाहिए :

[1][परंतुक यदि न्यूनतम निविदा में भी प्रस्थापित वित्तीय दरें बाजार दरों से पर्याप्त अधिक प्रतीत हों तथा नई निविदायें आमंत्रित करने में सभाव्य विलंब के परिणामस्वरूप शासन को पर्याप्त वित्तीय हानि अथवा लोगों को असम्यक् कष्ट हो सकता हो, तो ऐसी अपवादात्मक परिस्थितियों में निविदा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अपने नियंत्रक अधिकारी की लिखित अनुज्ञा से उस निविदाकार से युक्तियुक्त दरें अभिप्राप्त करने के प्रयोजन से न्यूनतम निविदाकार से बातचीत कर सकेगा। निविदा आमंत्रित करने वाला अधिकारी न्यूनतम निविदाकार को बातचीत के लिए आमंत्रित करने का विनिश्चय लिखित में ससूचित करेगा तथा उससे विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर नई वित्तीय बोली प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा। यदि निविदा अनुमोदित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम निविदाकार द्वारा प्रस्थापित दरों को अब भी प्रचलित दरों से पर्याप्त अधिक पाता है तो नये सिरे से निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया पुनः आरंभ की जाएगी।]

(7) निविदा को स्वीकृत करते समय अन्य बातों के अलावा निविदाकर्ता की वित्तीय स्थिति (व्यक्ति या फर्म जो भी हो) को भी ध्यान में रखना चाहिए।

(8) जिन मामलों में लिखित करार आदि नहीं किया गया है उन मामलों में पूर्ति आदेश जब तक कि कम-से-कम मूल्य के बारे में लिखित में न ले लिया गया हो, नहीं दिया जाना चाहिए।

[1][(8-क) निविदा आमंत्रित किये जाने के पश्चात, संविदा जब एक बार किसी प्राधिकारी द्वारा, जो राज्य सरकार के आदेशों के द्वारा या अधीन ऐसा करने के लिए सशक्त हो, अनुमोदित हो जाती है, तो उसी प्रयोजन के लिये एक नई संविदा केवल नई निविदा आमंत्रित करने के पश्चात् की जा सकेगी।]

(9) संविदा में ठेकेदार को दी जाने वाली शासकीय सम्पत्ति की सुरक्षा का प्रावधान अवश्य करना चाहिए।

(10) 5 वर्ष से अधिक समय तक चलने वाली संविदा में यह उपबंध बिना शर्त अवश्य किया जाना चाहिए कि तत्सम्बन्ध में 6 मास की नोटिस देकर कभी भी संविदा को भंग अथवा निरस्त किया जा सकता है।

(11) ठेकेदार के नजदीकी रिश्तेदार की प्रतिभूति सामान्यतः स्वीकार नहीं की जाना चाहिए। ऐसी प्रतिभूति तभी स्वीकार की जा सकती है जब स्वीकृतकर्ता अधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि ठेकेदार के नजदीकी रिश्तेदार की सम्पत्ति अपनी है तथा अलग है, इस आशय का एक शपथ पत्र भी लेना चाहिए।

(12) नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक अथवा उसके निर्देश पर कार्य करने वाले अन्य अधिकारियों को संविदाओं की जांच करने का अधिकार है। उन्हें यह भी अधिकार है कि वह ऐसे प्रकरण जहाँ स्पर्धी निविदाएँ नहीं बुलाई गई हैं अथवा जहाँ ऊँची निविदाएँ स्वीकृत की गई है अथवा अन्य प्रक्रिया संबंधी अनियमितताएँ की गई हैं, उच्च अधिकारी के ध्यान में लायें।